

# न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा  
प्रकरण संख्या : 36 / 2024  
जीसीएमएस नं. : 2024 / 108

प्रार्थी :-

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी,  
जिला रसद कार्यालय, बांसवाड़ा

अप्रार्थी :-

बनाम

श्री देवीलाल पिता नारायण शर्मा, प्रोपराईटर भेरुनाथ  
कचौरी सेन्टर, परतापुर, जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

श्री हरिविष्णु पुरोहीत – अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :- 28-11-2024

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 07.10.2024 की पालना में दिनांक 24.10.2024 को भेरुनाथ कचौरी सेन्टर, परतापुर का आकस्मिक निरीक्षण श्री मणि खींची प्रवर्तन अधिकारी, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान सत्तू हलवाई गोदाम, अम्बामाता मंदिर के पीछे, बांसवाड़ा (राजस्थान) पर फर्म के प्रोपराईटर श्री देवीलाल पिता नारायण शर्मा उपस्थित मिले। मौके पर 01 घरेलु सिलेण्डर का उपयोग कर कचौरी बनाना पाया गया एवं 4 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेण्डर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	भारत गैस	0116256 B	26.700	15.400	10.700
2	भारत गैस	706060 P	29.500	15.500	14.000
3	भारत गैस	623203	15.400	15.400	14.000
4	भारत गैस	314564	20.000	15.300	4.700
5	भारत गैस	033386 T	18.000	15.000	3.000

जिला कलक्टर  
बांसवाड़ा (राज.)


श्री देवीलाल पिता नारायण शर्मा द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरो के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 05 घरेलु सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लंघन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 05 घरेलु गैस सिलेण्डर मय रबर ट्यूब, रेग्युलेटर एवं सिंगल गैस भट्टी गैस चुल्हा जब्त किए जाकर मैसर्स सागर वैष्णवी गैस एजेन्सी, परतापुर के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मौहम्मद एजाज/ शेर मोहम्मद को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी बांसवाडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 05 घरेलु गैस सिलेण्डर मय रबर ट्यूब, रेग्युलेटर एवं सिंगल गैस भट्टी गैस चुल्हा को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 28.11.2024 को अप्रार्थी की ओर से श्री हरिविष्णु पुरोहित अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र एवं जवाब प्रस्तुत हुआ अप्रार्थी के अधिवक्ता ने जवाब में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया कि अप्रार्थी के विरुद्ध जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय बांसवाडा में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है जो निराधार है। अप्रार्थी किसी भी प्रकार का घरेलु गैस सिलेण्डरो का व्यवसाय उपयोग नहीं कर रहा था न ही भण्डारण किया गया है। उक्त गैस सिलेण्डरो को राजसात किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त जब्तशुदा माल अप्रार्थी का नहीं है न ही अप्रार्थी के कब्जे से पाया गया है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने उक्त जवाब के साथ ही बहस प्रस्तुत की। बहस में भी उक्त बिन्दुओं को दौहराते हुए जब्तशुदा गैस सिलेण्डरो को राजसात करने निवेदन किया।

प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 24.10.2024 को भेरुनाथ कचौरी सेन्टर, परतापुर का आकस्मिक निरीक्षण श्री मणि खींची प्रवर्तन अधिकारी, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान सत्तू हलवाई गोदाम, अम्बामाता मंदिर के पीछे, बांसवाडा (राजस्थान) पर फर्म के प्रोपराईटर श्री देवीलाल पिता नारायण शर्मा उपस्थित मिले। मौके पर 01 घरेलु सिलेण्डर का उपयोग कर कचौरी बनाना पाया गया एवं 4 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया।



  
जिला कलक्टर  
बांसवाड़ा (राज.)


उक्त गैस सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। श्री देवीलाल पिता नारायण शर्मा द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरो के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 05 घरेलु सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लंघन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 05 घरेलु गैस सिलेण्डर मय रबर ट्यूब, रेग्युलेटर एवं सिंगल गैस भट्टी गैस चुल्हा जब्त किए जाकर मैसर्स सागर वैष्णवी गैस एजेन्सी, परतापुर के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मौहम्मद एजाज/ शेर मोहम्मद को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 05 घरेलु गैस सिलेण्डर मय रबर ट्यूब, रेग्युलेटर एवं सिंगल गैस भट्टी गैस चुल्हा को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार 05 घरेलु गैस सिलेण्डर भेरुनाथ कचौरी सेन्टर, परतापुर व्यवसायिक संस्थान पर उपयोग करते हुए पाये गए हैं। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का उपयोग किया जाना व भंडारण किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 05 घरेलु गैस सिलेण्डर उसके साथ प्रयोग में लिये जा रहे रबर ट्यूब, रेग्युलेटर एवं सिंगल गैस भट्टी गैस चुल्हा को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त 5 गैस सिलेण्डर एवं उसके साथ प्रयोग में लिये जा रहे रबर ट्यूब, रेग्युलेटर एवं सिंगल गैस भट्टी गैस चुल्हा का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 28-11-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(डॉ. इंद्रजीत यादव)  
जिला कलेक्टर  
बांसवाड़ा (राज.)